न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 74/2015/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा

दायरा दिनांकः 28.7.2015

अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. घनश्याम बैरवा पुत्र श्योपाल बैरवा निवासी ग्राम मोठपुर तहसील व जिला बांरा।

...अपीलार्थी

बनाम

1 संतोष पत्नी दुर्गालाल जाति बैरवा निवासी गोल्याखेंडी तहसील खानपुर जिला झालावाड।

2 मनीष पुत्र रमेश नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षक पिता रमेशचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी बरडा नान्ता जिला कोटा।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांरा

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री बृजनारायण शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री आफाक अंसारी अभिभाषक रेस्पो0 कम–2

::निर्णय::

दिनांक 23.10.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 4/2013 अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट उनवान घनश्याम बनाम संतोष वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 8.10.2014 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 मे तस्दीकी नामान्तरकरण सं0 346 दिनांक 31.1.2013 वाके ग्राम मोठपुर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो एवं नामान्तरकरण मे वर्णित सजरे के प्रतिकूल विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पो0 कम–1 संतोषबाई के पक्ष मे तस्दीक किये जाने से अप्रसन्न होकर अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश कर वर्णित किया कि रेस्पो0 कम–1 मृतक चन्द्रप्रकाश की पत्नी है जो सन् 1996 मे गौना आयी उसके बाद दुर्गालाल बैरवा गोल्याहेडी तह0 खानपुर के नाता चली गई विगत 17 वर्षो से नाता पति दुर्गालाल के साथ बहैसियत पत्नी रह रही है। इस कारण मृतक चन्द्रप्रकाश की सम्पत्ति मे रेस्पो0 कम–1 का कोई अधिकार नही होते हुये भी फौती नामा0 तस्दीक कर त्रुटि की है अतः आराजी किता 7 रकबा 3.01 है0 के 1/3 हिस्से की आराजी का नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक करने का आदेश प्रदान किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नामान्तरकरण विधिक रूप से मृतक श्योपाल के जायज वारिसान के नाम तस्दीक किये जाने से कोई त्रुटि नही होना वर्णित करते हुये अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 8.10.18 से खारिज करदी जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि नामा0 सं0 346 दिनांक 31.1.2013 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो एवं नामान्तरकरण मे वर्णित सजरे के प्रतिकूल विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। रेस्पो0 कम–1 विगत 17 वर्ष से नाता पति दुर्गालाल के साथ बहैसियत पत्नी रह रही है इसलिये मृतक चन्द्रप्रकाश की संपति मे रेस्पो0 कम–1 का कोई अधिकार नही होने से उक्त नामा0 अवैध व शून्य है। रेस्पो0 कम–2 की माता गीताबाई को ससुराल मे जलाकर मार दिये जाने से मृतका गीताबाई की संपित्त मे ससुराल का कोई हक अधिकार नही होते हुये भी गीताबाई का फौती नामा0 रेस्पो0 कम–2 के पक्ष मे तस्दीक कर त्रुटि की है।

अपीलांट की माता पुष्पाबाई के जीवनकाल मे ही पुत्री गीताबाई की मृत्यु हो गई तथा मृतक पुत्र चन्द्रप्रकाश निसंतान फौत हुआ है चन्द्रप्रकाश का प्रथम अनुसूची का कोई जीवित वारिस नही होने से मृतक चन्द्रप्रकाश का द्वितीय अनुसूची का प्रथम जीवित उत्तराधिकारी अपीलांट होते हुये भी मृतक चन्द्रप्रकाश का फौती नामा0 उत्तराधिकारहीन रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे तस्दीक किया जो विधि विरूद्ध होने निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.10.2014 व नामान्तरण सं0 346 दिनांक 31.1.2013 ग्राम मोठपुर निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई। प्रकरण मे रेस्पो0 क्रम–1 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी कर आहूत किया गया। ए.डी. रसीद बाद तामील प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है रेस्पो0 क्रम–1 के उपस्थित नही होने पर उसकी तामील पूर्ण मानी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों को ही दोहराया तथा अपील मे वर्णित तथ्यो के आलोक मे अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.10.2014 व नामान्तरण सं0 346 दिनांक 31.1.2013 ग्राम मोठपुर निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2 ने अपनी बहस अपीलांट के कथन से सहमत होते हुये कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध नामा0 सं0 346 दिनांक 31.1.2013 ग्राम मोठपुर व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय एंव पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड के आध्योपांत अवलोकन से प्रकट होता है कि नामा0 सं0 346 मृतक श्योपाल के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उक्त नामा0 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो एवं नामान्तरकरण मे वर्णित सजरे के प्रतिकूल है क्योंकि रेस्पो0 क्रम–1 विगत 17 वर्ष से नाता पति दुर्गालाल के साथ बहैसियत पत्नी रह रही है इसलिये मृतक चन्द्रप्रकाश की संपति मे रेस्पो0 क्रम–1 का कोई अधिकार नही है इसी प्रकार मृतका गीताबाई की संपित्त मे ससुराल का कोई हक अधिकार नही होते हुये भी गीताबाई का फौती नामा0 रेस्पो0 क्रम–2 के पक्ष मे तस्दीक कर त्रुटि की जाने से नामा0 अवैध व शून्य है। अपीलांट के उक्त तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड एवं नामा0 सं0 346 तथा जेरअपील निर्णय का अवलोकन किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय मे रेस्पो0 क्रम–1 संतोष मृतक चन्द्रप्रकाश की पत्नी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वह ही एकमात्र वारिस होना वर्णित करते हुये स्पष्ट किया है कि मृतक के जीवनकाल मे विवाह विच्छेद होने व नाते चली जाने के संबध मे कोई प्रमाण नही है। इसी प्रकार रेस्पो0 क्रम–2 मृतका गीताबाई के हिस्से की आराजी भी उसके वारिस पुत्र के नाम की गई है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे गीताबाई के पति का उक्त आराजी तर्क करने संबधी प्रस्तुत शपथ पत्र को विधिक रूप से उचित नही होना मानते हुये निर्णय स्पष्ट वर्णित किया है कि इस शपथ पत्र के आधार पर मृतका के पुत्र के अधिकार समाप्त नही हो सकते। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे भी अपीलार्थी द्वारा ऐसे कोई आधार अभिलेख/दस्तावेज पेश नही किये है। अतः समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे अपीलार्थी के तर्क की पुष्टि नही होती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड का समुचित अवलोकन कर जेरअपील निर्णय पारित किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विवेचित उक्त अभिमत विधिसम्मत होने से जेरअपील निर्णय मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त,
कोटा